विनियामक और अन्य उपाय

अप्रैल 2007

आरबीआइ / 2006-07 /311 संदर्भ शबैंवि (पीसीबी)सं./ 5/12.03.000/2006-07 दिनांक 05 अप्रैल 2007.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक - सीआरआर बनाए रखना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) सं.3/12.03.000/2006-07 देखें। जैसा कि 30 मार्च 2007 की प्रेस प्रकाशनी 2006-07/1336 में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में उनके निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के आधे प्रतिशत की दो चरणों में वृद्धि की जाए, जो नीचे उल्लिखित पखवाड़ों से लागू होगी :

लागू होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा)	निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)
14 अप्रैल 2007	6.25
28 अप्रैल 2007	6.50

तथापि, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखा जानेवाला प्रभावी सीआरआर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में व्यवस्था है।

2. सीआरआर के लिए पात्र नकद शेष राशियों पर ब्याज वर्तमान में सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42(1 क) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी पात्र नकद शेष

राशियों पर 1.00 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया जाता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 14 अप्रैल 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को वर्तमान सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जानेवाली पात्र नकदी शेष राशियों पर 0.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा किया जाएगा।

आरबीआई/2006-2007/361 शबैंवि पीसीबी. परि.सं.38/09.14.000/2006-07 दिनांक 30 अप्रैल 2007.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - आस्ति निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड - शहरी सहकारी बैंक

कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 210 (प्रति संलग्न) देखें।

2. हमारे दिनांक 27 सितंबर 2004 के परिपत्र शबैंवि. पीसीबी.परि. 21/12.05.05/2004-05 के अनुसार सभी शहरी सहकारी बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वे 01 अप्रैल 2006 को या उसके बाद संदिग्ध आस्ति (डी-III) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के सुरक्षित हिस्से पर 100 प्रतिशत प्रावधान करें। वर्ष 2006-07 के प्रारंभ से उनके लिए यह भी अनिवार्य था कि वे डी-III आस्तियों के बकाए स्टॉक के लिए क्रमिक आधार पर प्रावधान करें।

3. शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की विविधता को देखते हुए एक द्वि-स्तरीय विनियामक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था जैसे (क) टियर I बैंक जिनमें वे यूनिट बैंक शामिल हैं जिनकी केवल एक शाखा/ प्रधान कार्यालय है और जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये तक हो। टियर I में वे शहरी सहकारी बैंक भी शामिल हैं जिनकी एक जिले के भीतर कई शाखाएं हैं और जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये तक हो और (ख) टियर II बैंक जिनमें अन्य सभी बैंक शामिल हैं। टियर II बैंकों के लिए 4 जुलाई 2005 के हमारे परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.1/09. 14.00/2005-06 के माध्यम से रियायती विवेकपूर्ण मानदंड जारी किए गए थे। उन्हें 31 मार्च 2007 तक ऋण खातों को 90 दिन के चूक मानदंड के बजाय 180 दिन के चूक मानदंड के आधार पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी। यह रियायत देने के पीछे स्पष्ट उद्देश्य यही था कि संबंधित शहरी सहकारी बैंक पर्याप्त प्रावधान सृजित करते हुए तथा अपने मूल्यांकन, संवितरण तथा संवितरण के बाद की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उपरांत वर्ष 2007-08 में अनर्जक आस्तियों से संबंधित 90 दिन के चूक मानदंड की व्यवस्था में शामिल हो सकें।

4. इसके अतिरिक्त, टियर I बैंकों के लिए संदिग्ध आस्तियों (डी-III) की श्रेणी के सुरक्षित हिस्से पर 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण को तीन वर्षों के लिए आस्थगित कर दिया गया था जबकि टियर II बैंकों के लिए 01 अप्रैल 2006 को या उसके बाद 100 प्रतिशत प्रावधान करना अनिवार्य था।

5. शहरी सहकारी बैंकों की अब तक की प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार निम्नवत निर्णय लिया गया है :

क) टियर-I बैंक

i) अनर्जक आस्तियों के लिए ऋण संबंधी 180 दिन के चूक मानदंड को एक साल बढ़ाकर अर्थात 31 मार्च 2008 तक कर दिया गया है।

ii) संदिग्ध श्रेणी के अंतर्गत किसी अवमानक आस्ति के वर्गीकरण के लिए 12 महीने की अवधि 01 अप्रैल 2008 से लागू होगी।

iii) इसके अलावा इन बैंकों के लिए 01 अप्रैल 2010 को या उसके बाद तीन वर्षों से अधिक समय से संदिग्ध आस्तियों के रूप में वर्गीकृत डी-III अग्रिमों के सुरक्षित हिस्से का 100 प्रतिशत प्रावधान करना अनिवार्य होगा।

iv) बैंकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे 31 मार्च 2010 तक के डी-III अग्रिमों के बकाए स्टॉक के लिए निम्नवत प्रावधान करें :

31 मार्च 2010 तक 50 प्रतिशत
31 मार्च 2011 तक 60 प्रतिशत
31 मार्च 2012 तक 75 प्रतिशत
31 मार्च 2013 तक 100 प्रतिशत

ख) टियर - II बैंक

i) डी-III (तीन वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध) के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण उन अग्रिमों पर लागू होगा जो 01 अप्रैल 2007 को या उसके बाद इस श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किए गए थे बजाय उन अग्रिमों के जो 01 अप्रैल 2006 को या उसके बाद इस श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किए गए थे।

ii) इसके फलस्वरूप बैंकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे 31 मार्च 2007 तक के डी - III आस्तियों के बकाए स्टॉक के लिए निम्नवत प्रावधान करे :

31 मार्च 2007 तक 50 प्रतिशत
31 मार्च 2008 तक 60 प्रतिशत
31 मार्च 2009 तक 75 प्रतिशत
31 मार्च 2010 तक 100 प्रतिशत

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य

(ग) शहरी सहकारी बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड : समय विस्तारण

210. शहरी सहकारी बैंकों के क्षेत्र से लेनदेन हेतु द्विस्तरीय विनियामक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, शहरी सहकारी बैंकों का दो श्रेणियों, अर्थात् टियर I और टियर II बैंकों में वर्गीकरण किया गया है। टियर I शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2007 तक 90 दिन के मानदंड के बदले 180 दिन के चूक के मानदंड पर आधारित अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में ऋण खातों का वर्गीकरण करने की अनुमति थी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2006-07 से टियर II के शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए अधिक कठोर प्रावधानन मानदंड अपनाएं। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि:

- टियर I और टियर II बैंकों पर लागू मौजूदा शिथिल विवेकपूर्ण मानदंडों को एक वर्ष और बढ़ाया जाए।

आरबीआई/2006-07/362/शबैवि (पीसीबी).परि.सं.39/13.05.000/2006-07 दिनांक 30 अप्रैल 2007

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

स्वर्ण और चांदी के गहनों पर ऋण प्रदान करना - जोखिम भार को कम करना - शहरी सहकारी बैंक

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - स्वर्ण और चांदी के गहनों पर ऋण प्रदान करना - जोखिम भार को कम करना - शहरी सहकारी बैंक

कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 151 (प्रति संलग्न) देखें।

2. हमारे 05 जनवरी 2005 के परिपत्र शबैवि.पीसीबी.परि.33/09.116.00/2004-05 के अनुसार वैयक्तिक ऋण सहित उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया था।

3. यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण और चांदी के गहनों पर 01 लाख रुपए तक के ऋणों पर मौजूदा 125 प्रतिशत स्तर का जोखिम भार घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाए।